

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), बाँसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : एफ 32 () वितरण/ले.ची./2016-17/1086

दिनांक : 08.12.2016

-:: उप आवंटन आदेश ::-


राजस्थान राज्य खाद्य, नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के पत्र क्रमांक-आरएसएफसीएससी/चीनी/2015-16 /15098-15167 दिनांक 24/10/2016 द्वारा बाँसवाड़ा जिले को माह सितम्बर 2016 हेतु 434.30 एम.टी. एवं त्योंहारी कोटे के लिये 301.20 एमटी कुल 735.50 एमटी चीनी का आवंटन जारी किया गया है। उक्त चीनी प्राप्त हो चुकी है। जिले की थोक संस्थाओं के पास 330.26 एमटी चीनी अक्टूबर 2016 में बाद वितरण अवशेष है। इस प्रकार माह दिसम्बर 2016 में वितरण हेतु कुल 1065.76 एमटी चीनी उपलब्ध हो जावेगी। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त के पत्र क्रमांक एफ 12(1)खा.वि./चीनी/निगम/2015, जयपुर दिनांक 27. 10.2016 द्वारा माह अगस्त, सितम्बर एवं त्योंहारी कोटा को मिलाते हुए पात्र राशनकार्डधारियों को प्रति यूनिट 1 किलोग्राम चीनी वितरण करने के निर्देश हैं। अतः माह दिसम्बर 2016 के उपभोक्ता सप्ताह में अन्त्योदय एवं बीपीएल राशन कार्डों पर 1 किलो चीनी प्रति यूनिट वितरण किये जाने हेतु चीनी का थोक विक्रेतावार/तहसीलवार उपावंटन निम्नानुसार किया जाता है :-

(मात्रा एम.टी.में)

नाम थोक विक्रेता	तहसील	पंचायत समिति	बीपीएल + अन्त्योदय		प्राप्त आवंटन		पूर्व का स्टॉक	योग (6+7+8)	माह नवंबर 2016 में 1 किलो ग्राम प्रति यूनिट वितरण हेतु आवश्यक मात्रा	आधिक्य
			कार्ड	यूनिट	माह सितम्बर 2016	त्योंहारी कोटा				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राजस संघ बाँसवाड़ा	कुशलगढ	कुशलगढ	15021	77000						
		सज्जनगढ	16118	73247						
		न.पा. कुशल.	736	2832						
		आनन्दपुरी	20272	77737						
		बागीदौरा	24879	116113						
		योग	77026	346929	183.20	127.00	76.58	386.78	346.92	39.86
के.वी. एस.एस. बाँसवाड़ा	बाँसवाड़ा	शहर बाँसवाड़ा	4421	19822						
		तलवाड़ा	26138	118032						
		छोटी सरवन	12359	55347						
		योग	42918	193201	115.30	80.00	155.90	351.20	193.20	158.00
के.वी. एस.एस. गढी	गढी	गढी	25181	123087						
		योग	25181	123087	59.50	41.30	25.52	126.32	123.08	3.24
उ.थोक मंडार बाँसवाड़ा	घाटोल	घाटोल	32082	127945						
		योग	32082	127945	76.30	52.90	72.26	201.46	127.94	73.52
महायोग			177207	791162	434.3	301.2	330.26	1065.76	791.14	274.62

चीनी के वितरण के संबंध में निम्नानुसार बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावे :-

1. थोक विक्रेता जिले के खुदरा विक्रेताओं को उठाव हेतु तत्काल सूचित कर उनके परिचय पत्र देखकर एवं हस्ताक्षर प्राप्त कर पूर्व में खाद्यान्न आवंटन हेतु दी गई सूची में दर्ज यूनिट के अनुरूप चीनी उपलब्ध करायेगे। थोक विक्रेता माह दिसम्बर 2016 में वितरण हेतु उचित मूल्य दुकानदारों को चीनी 15.12.2016 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. महाप्रबन्धक (वित्त) राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के पत्र क्रमांक एफ () राराखानाआनि/आरटीजी/चीनी भुगतान/2016-17/13791-90 दिनांक 30.09.2016 के अनुसार थोक विक्रेता बिल की राशि उचित मूल्य दुकानदारों से स्वयं प्राप्त करेंगे एवं साप्ताहिक रूप से जिला प्रबन्धक के माध्यम से निगम को भुगतान करेंगे। उचित मूल्य दुकानदार आवंटित चीनी की राशि प्रति क्विंटल 2000-(23.87 खुदरा कमीशन)=1976.13 की दर से व्यक्तिशः थोक विक्रेता के पास जमा करेंगे।
3. थोक विक्रेता राशि जमा हो जाने के सत्यापन के पश्चात् उचित मूल्य दुकानदारों को चीनी जारी करेंगे। इस संबंध में वित्तीय सलाहकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 40(2) खा. ले/नीति/शुगर/2015-16, जयपुर दिनांक 26.08.2016 एवं उपायुक्त एवं उपशासन सचिव के आदेश क्रमांक एफ 12(1)खा.वि/चीनी/2015 जयपुर दिनांक 30.09.2016 के अनुसार थोक विक्रेता उचित मूल्य दुकान तक चीनी की डिलेवरी डौर स्टेप स्वयं के संसाधनों या स्वयं के स्तर पर अनुबंधित संसाधनों से करना सुनिश्चित करेंगे।
4. थोक विक्रेता द्वारा चीनी की आपूर्ति भी गेहू की परिवहन दरों के समान ही अपने गोदाम से उचित मूल्य दुकान तक निर्धारित परिवहनकर्ता से कराई जायेगी, तथा अनलोडिंग कार्य भी उसी परिवहनकर्ता द्वारा किया जायेगा।
5. वितरण के बाद अवशेष चीनी थोक विक्रेता स्टॉक में रखेंगे।
6. थोक विक्रेता प्राप्त चीनी की राशि 2000 रु. में से थोक विक्रेता कमीशन 23 रु. एवं खुदरा विक्रेता कमीशन 23.87 कर 1953.13 रु. प्रति क्विंटल की दर से साप्ताहिक रूप से जिला प्रबन्धक के माध्यम से निगम को भुगतान करेंगे।
7. थोक विक्रेता संस्था डीलर को आपूर्ति की गई चीनी की परिवहन राशि के पुनर्भरण हेतु सूचना निर्धारित प्रारूप में चीनी अनुभाग निगम मुख्यालय को प्रस्तुत करेगी, ताकि निगम परिवहन की राशि को संस्था के खाते में जमा कर सके।
8. इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पूर्णतः पालना की जावेगी।
9. निर्धारित तिथि तक उचित मूल्य दुकानदार थोक विक्रेता से चीनी प्राप्त कर बीपीएल एवं अन्त्योदय कार्डधारी उपभोक्ताओं को माह दिसम्बर, 2016 के उपभोक्ता सप्ताह में नये डीजिटल अन्त्योदय एवं बी.पी.एल. राशनकार्डों पर प्रति यूनिट 1 किलो ग्राम 20/- रु. प्रतिकिलो की दर से POS मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर वितरण करेंगे। प्राधिकृत थोक विक्रेता दैनिक/मासिक नक्शा, उठाव एवं वितरण सम्बन्धी उपखण्ड कार्यालय, तहसील एवं जिला रसद कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। प्रवर्तन स्टाफ अपने-अपने क्षेत्र में चीनी उठाव की दैनिक मॉनिटरिंग करेंगे तथा वितरण पर पूर्ण निगरानी रखेंगे।


(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर (रसद),
बांसवाड़ा

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, य. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. सांसद महोदय, बांसवाड़ा- झुगरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बांसवाड़ा।
4. जिला प्रमुख महोदय, जिला परिषद, बांसवाड़ा।
5. विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र बांसवाड़ा/गढी/घाटोल/बागीदौरा/कुशलगढ।
6. प्रधान, पंचायत समिति, बांसवाड़ा/तलवाड़ा/घाटोल/गढी/अरथूना/बागीदौरा/छोटी सरवन/कुशलगढ/सज्जनगढ/आनन्दपुरी/गांगडतलाई।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बांसवाड़ा।
8. उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा/घाटोल/गढी/बागीदौरा/कुशलगढ/सज्जनगढ/आनन्दपुरी/छोटी सरवन।
9. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी बांसवाड़ा को दैनिक समाचार पत्रों में समाचार आईटम के रूप में प्रकाशन हेतु।
10. उपनिदेशक सूचना प्राधोगिक एवं संचार विभाग बांसवाड़ा को जिले के वेब पोर्टल पर डालने हेतु।
11. तहसीलदार, तहसील बांसवाड़ा/छोटी सरवन/आम्बापुरा/घाटोल/गनोडा/गढी/बागीदौरा/आनन्दपुरी/गांगडतलाई/कुशलगढ/सज्जनगढ।
12. विकास अधिकारी पंचायत समिति बांसवाड़ा/तलवाड़ा/गढी/अरथूना/घाटोल/बागीदौरा/आनन्दपुरी/सज्जनगढ/कुशलगढ/छोटीसरवन/गांगडतलाई।
13. प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक, बांसवाड़ा/घाटोल/गढी/कुशलगढ/बागीदौरा को वितरण पर पूर्ण सतर्कता हेतु।
14. प्रबन्धक, राजस्थान राज्य एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, बांसवाड़ा।
15. क्षेत्रीय प्रबन्धक राजस संघ/मुख्य व्यवस्थापक स.उ.थोक भण्डार बांसवाड़ा/क्र.वि.स.स. बांसवाड़ा/परतापुर।
16. समस्त उचित मूल्य दुकानदार जिला बांसवाड़ा द्वारा सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक को पालनार्थ।
17. लेखा, अनुभाग कार्यालय हाजा।


जिला रसद अधिकारी
बांसवाड़ा